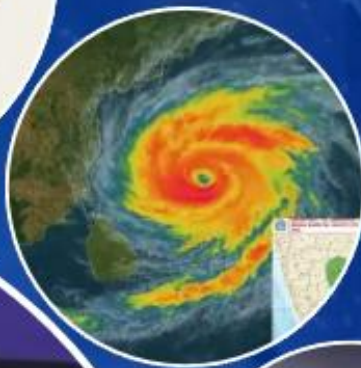


RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

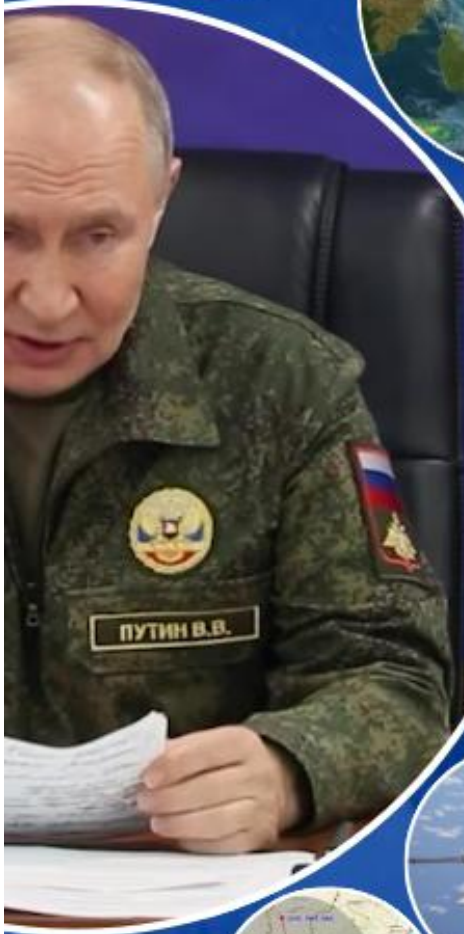
UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण



DATE
अक्टूबर
29
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors



By Ankit Avasthi Sir

चक्रवात मोंथा / Cyclone Montha

संदर्भ:

चक्रवात 'मोंथा' एक गंभीर चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm) के रूप में आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, यह तूफान मछलीपट्टनम और काकीनाड़ा के बीच, काकीनाड़ा के आसपास के क्षेत्र में तट से टकरा सकता है। इसके प्रभाव से तेज़ हवाएँ, भारी वर्षा और समुद्र में ऊँची लहरें उठने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते तटीय क्षेत्रों में चेतावनी और निकासी कार्य तेज़ कर दिए गए हैं।

चक्रवात मोंथा – मुख्य तथ्य:

1. तीव्रता (Intensity):

- भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मोंथा को गंभीर चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm) के रूप में वर्गीकृत किया।
- हवा की रफ्तार: 90-100 किमी/घंटा, झोंके 110 किमी/घंटा तक।

2. मार्ग और भूमि पर प्रवेश (Path and Landfall):

- यह चक्रवात उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा।
- आंध्र प्रदेश तट (मछलीपट्टनम और काकीनाड़ा के बीच) से टकराया।

3. प्रभावित क्षेत्र (Affected Areas):

- आंध्र प्रदेश के तटीय जिले: तेज़ हवाएँ, भारी वर्षा और समुद्री जलभराव।
- ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी वर्षा हुई।

4. प्रशासनिक प्रतिक्रिया (Government Response):

- आंध्र प्रदेश और ओडिशा में उच्च सतर्कता (High Alert) जारी की गई।
- कमजोर इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया (Evacuation)।
- आपदा राहत दल को तैनात किया गया।

चक्रवात मोंथा का नामकरण (Naming of Cyclone Montha):

1. नाम किसने दिया: थाईलैंड (Thailand) ने "मोंथा" नाम दिया है।

2. अर्थ (Meaning): थाई भाषा में "मोंथा" का अर्थ है - "सुगंधित फूल" या "सुंदर फूल"।

3. नाम सूची (Name List): यह नाम विश्व मौसम संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (UN-ESCAP) द्वारा तैयार की गई चक्रवात नामों की सूची में शामिल है।

4. सदस्य देश (Member Countries): इस सूची में 13 सदस्य देश शामिल हैं, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र (North Indian Ocean Region) में आने वाले चक्रवातों की निगरानी करते हैं और नाम सुझाते हैं।

चक्रवात कैसे बनते हैं? (Formation of Cyclones):

1. निम्न दाब केंद्र: जब समुद्र का तापमान 26°C से अधिक हो जाता है, तो गर्म हवा ऊपर उठती है और वहाँ निम्न दाब क्षेत्र (Low Pressure Zone) बन जाता है।

2. संघनन और ऊर्जा: ऊपर उठती नम हवा ठंडी होकर संघनित (Condense) होती है।

- इस प्रक्रिया में गुप्त ऊष्मा निकलती है, जो चक्रवात को ऊर्जा देती है और उसे तीव्र बनाती है।

3. कोरिओलिस प्रभाव: पृथ्वी के घूमने से हवाएँ मुड़कर घूमने लगती हैं –

- उत्तरी गोलार्ध में: वामावर्त दिशा में।
- दक्षिणी गोलार्ध में: दक्षिणावर्त दिशा में।

इसी कारण चक्रवात घूमता हुआ तूफान बनता है।

चक्रवातों का नामकरण (Naming of Cyclones):

1. जिम्मेदार संस्था (Responsible Body):

- उत्तर हिंद महासागर (North Indian Ocean) क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones (PTC) द्वारा किया जाता है।
- यह विश्व मौसम संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत आयोग (ESCAP) की संयुक्त पहल है।

2. सदस्य देश (Member Countries – 13 देश):

भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, और यमन।

3. नामकरण प्रक्रिया (Naming Process):

- प्रत्येक देश 13 नामों का सुझाव देता है।
- भारत मौसम विभाग (IMD) इस सूची को संभालता है और जब नया चक्रवात बनता है, तो क्रमवार नाम दिया जाता है।
- वर्तमान सूची 2020 में जारी की गई थी, जिसमें कुल 169 नाम शामिल हैं।

SIR 2.0- 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा / SIR 2.0 to Begin in 12 States and UTs

संदर्भ:

भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision)** के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस चरण में **तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी** जैसे आगामी चुनाव वाले प्रदेश भी शामिल हैं। इस पुनरीक्षण अभियान के तहत लगभग **51 करोड़ मतदाताओं** को कवर किया जाएगा।

मुख्य बिंदु – विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) 2025

1. उद्देश्य (Objective):

- चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि मतदाता सूची (Electoral Roll) पूरी तरह त्रुटि-रहित (Error-Free) हो।
- सुनिश्चित किया जाए कि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र मतदाता शामिल न हो।

2. शामिल राज्य और केंद्रशासित प्रदेश: यह प्रक्रिया इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगी: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तथा लक्षद्वीप।

3. चयन के कारण: इन राज्यों/UTs को इसलिए चुना गया क्योंकि:

- यहाँ उच्च प्रतिशत में मतदाताओं का डिजिटल मानचित्रण हुआ है।
- प्रशासनिक तैयारी अच्छी है – प्रशिक्षित BLOs, जिला मजिस्ट्रेट (DMs) और ERO (Electoral Registration Officers) मौजूद हैं।

4. अपवर्जन (Excluded States):

- **महाराष्ट्र:** सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, स्थानीय निकाय चुनाव **31 जनवरी 2026** तक कराए जाने हैं, इसलिए SIR से बाहर रखा गया।
- **केरल:** स्थानीय निकाय चुनावों पर चर्चा जारी है, अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

5. प्रक्रिया और सत्यापन मानदंड (Process & Verification Norms):

- देशभर में SIR के दौरान नागरिकों को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा।
- नामांकन फॉर्म (Enrolment Form) में अब एक नया कॉलम जोड़ा गया है – जिसमें माता-पिता या रिश्तेदार का विवरण (2002-2004 की SIR से) दर्ज किया जाएगा।
- जो मतदाता लिंक नहीं हो पाएंगे, उन्हें नोटिस जारी कर अपनी पात्रता प्रमाणित करनी होगी।
- **आधार कार्ड (Aadhaar)** केवल **पहचान पत्र (Identity Proof)** के रूप में मान्य होगा, पात्रता के प्रमाण के रूप में नहीं।

6. डिजिटलीकरण और ट्रेसिंग:

- लगभग 70-80% मतदाता पुराने रजिस्टर (2002-2004) से डिजिटल रूप से जोड़े जा सकेंगे।
- प्रत्येक मतदाता को केवल एक हस्ताक्षरित फॉर्म जमा करना होगा।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण:

परिचय: SIR एक केंद्रित और समयबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें बूथ स्तर अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि करते हैं।

- इसका उद्देश्य है – मतदाता सूची को सटीक, समावेशी और त्रुटि-रहित बनाना।
- इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं का पंजीकरण, पुराने नामों का विलोपन और जानकारी में संशोधन किया जाता है।

विधिक आधार (Legal Provision):

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 (Section 21) के तहत चुनाव आयोग (ECI) को मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने का अधिकार है।
- इस धारा के अनुसार, आयोग किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण करा सकता है, बशर्ते कारण दर्ज किए जाएँ।

संवैधानिक आधार (Constitutional Basis):

- **अनुच्छेद 324 (Article 324):** चुनाव आयोग को चुनावों और मतदाता सूची की तैयारी पर निगरानी और नियंत्रण का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 326 (Article 326):** सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) का प्रावधान करता है – यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर नागरिक को **मत देने का अधिकार** है, जब तक कि वह किसी अपराध, भ्रष्टाचार या मानसिक अक्षमता के कारण **अयोग्य** न हो।

पिछले पुनरीक्षण:

- **SIR** पहले कई वर्षों में विभिन्न राज्यों में आयोजित किए गए – 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003, और 2004।
- **बिहार (Bihar)** में अंतिम विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण **साल 2003** में हुआ था।

मिड-एयर रीफ्यूलिंग टैंकर / Mid-air refueling tanker

संदर्भ:

रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी **इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI)** भारतीय वायुसेना (IAF) के लगभग ₹8,000 करोड़ के **छह मिड-एयर रीफ्यूलिंग टैंकर** विमानों के अनुबंध की एकमात्र शेष दावेदार बनकर उभरी है। इज़राइली कंपनी यह स्थिति तब हासिल कर पाई जब अन्य अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ, जिनमें रूसी और यूरोपीय फर्म शामिल थीं, निविदा की कुछ तकनीकी शर्तों को पूरा करने में विफल रही।

भारत-इज़राइल टैंकर विमान सौदा:**सौदे का विवरण (Details of the Deal):**

1. विमान रुपांतरण: इस समझौते के तहत इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) छह पुराने बोइंग 767 वाणिज्यिक विमानों को मल्टी-मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमानों में परिवर्तित करेगी।

2. “मेक इन इंडिया” आवश्यकता (Make in India Requirement):

- IAI लगभग 30% स्वदेशी सामग्री शामिल करेगा।
- यह ऑफसेट नीति के तहत किया जाएगा, जिससे भारतीय कंपनियों – जैसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) – को अवसर मिलेंगे।

3. वायुसेना की क्षमता में वृद्धि: ये नए टैंकर विमान भारतीय वायुसेना (IAF) के लड़ाकू विमानों – जैसे सुखोई-30MKI और राफेल – की रेंज, धैर्य और संचालन लचीलापन बढ़ाएंगे।

4. लंबे इंतज़ार का अंत: यह सौदा लगभग 15 वर्षों की असफल कोशिशों के बाद संभव हुआ है, जहाँ IAF नए टैंकर विमान खरीदने में लागत, मूल्यांकन और प्रक्रिया संबंधी बाधाओं से जूझ रहा था।

5. पुरानी फ्लीट का प्रतिस्थापन (Replacement of Aging Fleet):

- ये नए विमान IAF की पुरानी रूसी-निर्मित Ilyushin Il-78MKI टैंकर फ्लीट को पूरक करेंगे और धीरे-धीरे प्रतिस्थापित करेंगे।
- पुराने टैंकर विमानों में रखरखाव और सेवाक्षमता की गंभीर समस्याएँ रही हैं।

पृष्ठभूमि और संदर्भ (Background and Context):**1. भारत-इज़राइल रक्षा सहयोग (India-Israel Defence Ties):**

- भारत और इज़राइल के बीच लंबे समय से रक्षा सहयोग है।
- यह टैंकर सौदा दोनों देशों के बीच हाल के कई रक्षा सहयोगों में से एक है।

भारत के रक्षा क्षेत्र की अन्य हालिया प्रगति:**1. राफेल-मरीन जेट्स (Rafale-Marine Jets):**

- अप्रैल 2025 में भारत ने फ्रांस के साथ ₹63,000 करोड़ का सौदा किया।
- इसमें 26 राफेल-मरीन फाइटर जेट्स भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं।

2. MRFA कार्यक्रम (Multi-Role Fighter Aircraft Program):

- भारतीय वायुसेना 114 मल्टी-रोल फाइटर जेट्स (MRFA) खरीदने की प्रक्रिया में है।
- इस कार्यक्रम में राफेल (Rafale) एक प्रमुख दावेदार माना जा रहा है।

3. वेट-लीज टैंकर: मध्य-आकाश ईंधन आपूर्ति (Mid-Air Refueling) की कमी को पूरा करने के लिए IAF ने अस्थायी रूप से **वेट-लीज (Wet-Lease)** के तहत टैंकर विमान किराए पर लिए थे।

मिड-एयर रीफ्यूलिंग टैंकर:

परिभाषा: मध्य-आकाश ईंधन आपूर्ति विमान एक सैन्य विमान होता है, जो उड़ान के दौरान दूसरे विमान में ईंधन स्थानांतरित करता है।

- इस प्रक्रिया को **एरियल रीफ्यूलिंग** या **एयर-टू-एयर रीफ्यूलिंग (Air-to-Air Refueling)** कहा जाता है।
- यह कार्य दो प्रणालियों से किया जाता है –
 - फ्लाइंग बूम सिस्टम**
 - प्रोब-एंड-ड्रॉग सिस्टम**

बुरेवेस्टनिक मिसाइल के परीक्षण के बाद रूस अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण परमाणु समझौते से बाहर हो गया /

Russia exits key nuclear agreement with US after testing Burevestnik missile

संदर्भ:

रूस के राष्ट्रपति **व्लादिमीर पुतिन** ने अमेरिका के साथ हुए **प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौते (Plutonium Management and Disposition Agreement - PMDA)** को समाप्त करने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कदम रूस द्वारा अपने परमाणु-संचालित "बुरेवेस्टनिक" क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा के तुरंत बाद उठाया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

प्लूटोनियम निपटान समझौते की समाप्ति:

1. औपचारिक समाप्ति (Formal Termination):

- 28 अक्टूबर 2025 (सोमवार) को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि रूस अब प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट (PMDA) का हिस्सा नहीं रहेगा।
- यह समझौता पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय (Inactive) पड़ा था।

2. मूल उद्देश्य (Original Purpose):

- यह समझौता साल 2000 में रूस और अमेरिका के बीच हुआ था।
- दोनों देशों ने 34 टन हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम को न्यूक्लियर पावर उपयोग के लिए परिवर्तित करने का वचन दिया था।
- इसका उद्देश्य था —
 - परमाणु हथियारों में पुनः उपयोग को रोकना।
 - वैश्विक परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना।

3. संदर्भ और कारण: रूस ने इस समझौते से हटने के पीछे कई कारण बताए — अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, NATO का विस्तार, रणनीतिक असंतुलन

- इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रम्प** ने इस निर्णय को "अनुचित" बताया।

Burevestnik मिसाइल परीक्षण:

1. सफल परीक्षण (Successful Test):

- रूस ने **21 अक्टूबर 2025** को अपनी **9M730 Burevestnik** (जिसे "Storm Petrel" भी कहा जाता है) मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
- यह एक **परमाणु-संचालित क्रूज मिसाइल** है।
- परीक्षण के दौरान मिसाइल ने लगभग **14,000 किलोमीटर की दूरी** तय की और **15 घंटे तक** उड़ान भरी।

2. उन्नत क्षमताएँ (Advanced Capabilities):

- रूस का दावा है कि इस मिसाइल की लगभग **असीमित रेंज** है।
- इसकी **अनपेक्षित उड़ान पथ (Unpredictable Flight Path)** के कारण यह आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों (Missile Defense Systems) को चकमा देने में सक्षम है।

3. मिश्रित प्रतिक्रियाएँ (Mixed Reactions):

- रूस ने इसे अपनी बड़ी सैन्य उपलब्धि (बताया है)।
- लेकिन कई विश्लेषकों और विशेषज्ञों ने इस मिसाइल की व्यावहारिकता (Practicality) और विकिरण जोखिम पर संदेह जताया है।
- उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2019 में एक परीक्षण दुर्घटना (2019 Accident) में कई वैज्ञानिकों की मौत हुई थी।

हथियार नियंत्रण पर प्रभाव:

1. समझौतों का क्षरण (Erosion of Treaties):

- PMDA समझौते की समाप्ति ने अमेरिका और रूस के बीच हथियार नियंत्रण समझौतों (Arms Control Treaties) के लगातार कमजोर होने को और बढ़ा दिया है।
- इससे पहले, रूस ने अगस्त 2025 में INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) संधि से खुद को अलग कर लिया था, जबकि अमेरिका 2019 में ही इससे बाहर हो गया था।

2. रणनीतिक संदेश (Strategic Messaging):

- Burevestnik मिसाइल परीक्षण को विशेषज्ञों ने रूस का पश्चिमी देशों को रणनीतिक संकेत (Strategic Signal to the West) बताया है।
- यह कदम खास तौर पर यूक्रेन युद्ध (War in Ukraine) के संदर्भ में रूस की यह याद दिलाने की कोशिश है कि वह अब भी परमाणु शक्ति वाला प्रमुख प्रतिद्वंद्वी (Nuclear Peer and Competitor) है।

3. तनावपूर्ण संबंध (Strained Relations):

- अमेरिका और रूस के बीच तनाव (Tensions) और बढ़ गया है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रंप** ने एक प्रस्तावित शांति सम्मेलन (Peace Summit) को रद्द कर दिया।
- वहीं, रूसी अधिकारियों (Russian Officials) ने पश्चिमी देशों की सैन्य गतिविधियों (Western Military Actions) को INF संधि से हटने का कारण बताया।

राष्ट्रीय बीज निगम / National Seeds Corporation
संदर्भ:

केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन (NSC) के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, शुद्धिकरण और पैकेजिंग में देश की क्षमता को और सशक्त करेगा, जिससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता के बीज समय पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।


राष्ट्रीय बीज निगम (National Seeds Corporation - NSC)

स्थापना: राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) की स्थापना 1963 में की गई थी।

स्थिति:

- यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (Central Public Sector Enterprise - CPSE) है, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) के अधीन Schedule 'B' श्रेणी में आता है।

मुख्यालय: इसका मुख्यालय नई दिल्ली (New Delhi) में स्थित है।

मुख्य कार्य:

- देशभर में प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीजों (Certified Quality Seeds) का उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण करना।
- फाउंडेशन और ब्रीडर बीजों (Foundation & Breeder Seeds) की आनुवंशिक शुद्धता (Genetic Purity) और गुणवत्ता (Quality) को बनाए रखना।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार / Rashtriya Vigyan Puraskar
संदर्भ:

भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के सभी विजेताओं की पूरी सूची जारी कर दी है। यह पुरस्कार देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और वैश्विक स्तर पर भारत की वैज्ञानिक पहचान को मजबूत करना है।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (Rashtriya Vigyan Puraskar)
उद्देश्य (Aim):

- यह पुरस्कार उन वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है।
- इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित और प्रदान किया जाता है।

पुरस्कार की चार श्रेणियाँ (Four Categories):

- विज्ञान रत्न (Vigyan Ratna - VR):** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन योगदान (Lifetime Achievement) के लिए दिया जाता है।
- विज्ञान श्री (Vigyan Shri - VS):** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है।
- विज्ञान युवा – शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार:** 45 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण योगदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दिया जाता है।
- विज्ञान टीम पुरस्कार:** तीन या अधिक वैज्ञानिकों / शोधकर्ताओं / नवप्रवर्तकों की उस टीम को दिया जाता है, जिसने किसी क्षेत्र में टीम के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया हो।

पुरस्कार के 13 क्षेत्र (Domains):

- भौतिकी
- रसायन विज्ञान
- जैविक विज्ञान
- गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान
- पृथ्वी विज्ञान
- चिकित्सा
- अभियांत्रिकी विज्ञान
- कृषि विज्ञान
- पर्यावरण विज्ञान
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार
- परमाणु ऊर्जा
- अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- अन्य संबद्ध क्षेत्र (Other Allied Fields)

GS FOUNDATION

For

UPSC & STATE PSC

◆ इतिहास ◆ अर्थव्यवस्था ◆ भूगोल
◆ भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

1500x4
~~₹6000/-~~

₹4500/-

- ✓ रोज़ाना लाइव क्लासेस
- ✓ साप्ताहिक टेस्ट
- ✓ क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
- ✓ लाइव डाउट सेशन
- ✓ रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न

COURSE
VALIDITY
1 YEAR



FUNDAMENTALS OF STOCK MARKET

LEARN HOW TO TRADE

FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND

INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH

COMBO OFFERS

COURSE FEE

~~₹4000/-~~

OFFER PRICE

₹2800/-

Course Validity
1 YEAR

एक निवेश समझदारी से..



BBK
Baaten Bazar ki

FUNDAMENTALS OF STOCK MARKET

LEARN HOW TO TRADE

Course fee

₹1999/-

COURSE
VALIDITY
1 YEAR



INVESTMENT की करो जीरो से शुरूवात



FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND



Invest in Knowledge

Grow Your Wealth

Course fee

₹1999/-

COURSE
VALIDITY

1 YEAR



एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE



(FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)

- » Long-Term Investing Foundations
- » Principles of Value Investing and Stock
- » Portfolio Construction Mastery
- » Sectoral Investing
- » Stock Picking Framework
- » Active Portfolio Management Techniques
- » Mega Cap vs Mid Cap Strategy

FREE



SPECIAL BONUS

**COURSE VALIDITY
1 YEAR**

